



## रति छाबड़िया केस

- रति छाबड़िया मामले के नरिणय में न्यायालय ने कहा कि **आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 167 (2) के तहत डफिॉल्ट ज़मानत का अधिकार** केवल एक सांविधिक अधिकार नहीं है, बल्कि एक **मूल अधिकार** है जो अभियुक्तों की 'राज्य की अबाध और मनमानी शक्ति' से रक्षा के लिये **संवधान के अनुच्छेद 21** से शक्ति प्राप्त करता है।
- रति छाबरिया मामले में न्यायालय ने नरिणय दिया कि जाँच पूरी किये बिना जाँच एजेंसी द्वारा दायर किये गए अपूरण आरोप-पत्र अभियुक्त के डफिॉल्ट ज़मानत के अधिकार को पराजति नहीं करेगा।
  - इस मामले में देखा गया कि जाँच अधिकारियों द्वारा नियमिती रूप से 60/90-दिनी की अवधि के भीतर अपूरण या पूरक आरोप-पत्र दायर किये गए ताकि अभियुक्त को डफिॉल्ट ज़मानत की मांग करने से अवरुद्ध किये जा सकें।

## डफिॉल्ट ज़मानत से संबंधित अन्य मामले

- सीबीआई बनाम अनुपम जे. कुलकर्णी (1992):**
  - सर्वोच्च न्यायालय ने नरिणय दिया कि मजिस्ट्रेट अभियुक्त की गरिफ्तारी के बाद **अधिकतम 15 दिनों के लिये पुलिस हरिसत** को प्राधिकृत कर सकता है। इस अवधि के बाद, कोई और नरिोध न्यायिक हरिसत के रूप में होनी चाहिये, उन मामलों को छोड़कर जहाँ वही अभियुक्त **किसी अन्य घटना या संव्यवहार से उत्पन्न** एक अलग मामले में आरोपित बनाया जाता है। ऐसी स्थितियों में मजिस्ट्रेट पुलिस हरिसत को फरि से प्राधिकृत करने पर वचिर कर सकता है।
- उदय मोहनलाल आचार्य बनाम महाराष्ट्र राज्य (2001):**
  - संजय दत्त बनाम महाराष्ट्र राज्य के नरिणय को आधार लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि **अभियुक्त द्वारा डफिॉल्ट ज़मानत के अपने अधिकार का उपयोग करना तब माना जाएगा** जब उसने उसने इसके लिये ही आवेदन किये हो, न कि उसे जहाँ उसे डफिॉल्ट ज़मानत पर रहि कर दिया गया है।
  - यदि अभियुक्त के पक्ष में डफिॉल्ट ज़मानत का आदेश पारित किये जाता है, लेकिन वह ज़मानत देने में वफिल रहता है और इस बीच आरोप-पत्र दायर कर दिया जाता है तो डफिॉल्ट ज़मानत का उसका अधिकार समाप्त हो जाएगा।
- अचपाल बनाम राजस्थान राज्य (2018):**
  - सर्वोच्च न्यायालय ने नरिणय दिया कि कोई जाँच रिपोर्ट, भले ही पूरण हो, यदि यह एक अनधिकृत जाँच अधिकारी द्वारा दायर की जाती है तो अभियुक्त को डफिॉल्ट ज़मानत का लाभ उठाने से अवरुद्ध नहीं किये जा सकता है।
- जसबीर सहि बनाम राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (2023):**
  - इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने नरिणय दिया कि कोई अभियुक्त इस आधार पर डफिॉल्ट ज़मानत मांगने का हकदार नहीं है कि आरोप-पत्र (यद्यपि वह अपेक्षित अवधि के भीतर दायर किये गए हो) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) के तहत मंजूरी की कमी के कारण 'अपूरण' बना हुआ है।

## डफिॉल्ट ज़मानत के पक्ष में तरक

- नरिदोषता की धारणा:** डफिॉल्ट ज़मानत 'दोषी सिद्ध होने तक नरिदोष' (innocent until proven guilty) के मौलिक सिद्धांत को अक्षुण्ण रखती है। यह सुनिश्चित करती है कि जिनि व्यक्तियों पर अपराध का आरोप लगाया गया है, लेकिन उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है, उन्हें अनश्चितिकालीन पूर्व-वचिरण नरिोध के अधीन नहीं रखा जा सकता।
- नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा:** डफिॉल्ट ज़मानत नागरिक स्वतंत्रता और व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करती है। यह सुनिश्चित करती है कि पर्याप्त साक्ष्य और एक औपचारिक वचिरण के बिना लोगों को उनकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किये जाए; इस प्रकार, नषिपक्षता एवं न्याय के सिद्धांतों का प्रसार करती है।
- पुनरवास और स्थापन को बढ़ावा देना:** डफिॉल्ट ज़मानत अभियुक्तों को पुनरवास और स्थापन के लिये अपने समुदायों में बने रहने में मदद करती है, जहाँ वे कार्य करने और अपने परिवारों का पोषण करने से संलग्न होते हैं; इस प्रकार, दोषी नहीं पाए जाने पर उनके सफल पुनरस्थापन की संभावना बढ़ जाती है।
- शक्ति के दुरुपयोग पर अंकुश:** डफिॉल्ट ज़मानत जाँच एजेंसियों द्वारा शक्ति के संभावित दुरुपयोग के वरिद्ध सुरक्षा के रूप में कार्य करती है। यह अधिकारियों को साक्ष्य पेश किये बिना और उपयुक्त अवधि के भीतर आरोप तय किये बिना अनुपयुक्त तरीके से व्यक्तियों को हरिसत में रखने से रोकती है।
- नरिोध और स्वतंत्रता में संतुलन:** डफिॉल्ट ज़मानत संभावित फरारी जोखिमों को रोकने की आवश्यकता और किसी व्यक्त की स्वतंत्रता के अधिकार के संरक्षण के बीच संतुलन का नरिमाण करती है। यह न्यायालय को अभियोजन पक्ष द्वारा नरिधारित समयसीमा के भीतर साक्ष्य पेश कर सकने की क्षमता के आधार पर नरिंतर नरिोध में रखने की आवश्यकता का आकलन कर सकने का अवसर देती है।
- जेलों में भीड़भाड़ को कम करना:** डफिॉल्ट ज़मानत यह सुनिश्चित करके **जेल की भीड़भाड़** को कम करने में मदद करती है कि जिनि व्यक्तियों पर तुरंत आरोपपत्र दाखलि नहीं किये गए हैं या जिनि पर मामले कमज़ोर हैं, उन्हें अनावश्यक रूप से हरिसत में नहीं रखा जाए। यह जेल संसाधनों के अधिक कुशल उपयोग में योगदान देती है।

## डफिॉल्ट ज़मानत के वपिपक्ष में तरक

- **संभावति रूप से खतरनाक व्यक्तियों को ज़मानत देने का जोखिम:** जब अभियोजन पक्ष नरिधारति समय अवधिके भीतर आरोप दाखलि करने में वफिल रहता है तो डफिऑल्ट ज़मानत दी जाती है। ऐसे मामलों में स्वतः ज़मानत देना जोखमि उत्पन्न कर सकता है यदि अभियुक्त संभावति रूप से खतरनाक व्यक्ता है या समाज के लिये खतरा है। यह सार्वजनिक सुरक्षा को कमज़ोर कर सकता है और प्रभावी कानून प्रवर्तन में बाधा डाल सकता है।
- **जाँच प्रक्रिया को कमज़ोर करना: स्वतः:** ज़मानत प्रावधान संभावति रूप से जाँच प्रक्रिया को कमज़ोर कर सकते हैं। यदि अभियुक्त को आरोप दायर किये बिना डफिऑल्ट ज़मानत पर रहिा कर दिया जाता है तो यह स्थिति साक्ष्य इकट्ठा करने में बाधा उत्पन्न सकती है या एक मज़बूत मामला बनाने की अभियोजन पक्ष की क्षमता को बाधति कर सकती है। इससे न्याय मलिना कठिन हो सकता है और मामलों के नषिपक्ष समाधान में बाधा आ सकती है।
- **जवाबदेही और सार्वजनिक धारणा:** इससे यह भ्रम उत्पन्न हो सकता कि अभियुक्त उचित प्रक्रिया का सामना किये बिना या अपने कथति अपराधों के लिये जवाबदेह ठहराए बिना छूट रहे हैं।
- **पीडितों के अधिकारों को कमज़ोर करना:** स्वतः ज़मानत देने से पीडितों के समयबद्ध न्याय पाने के अधिकार बाधति हो सकते हैं और मामले में शामिल वभिन्न पक्षों के प्रति वियवहार में अन्याय या असमानता की भावना उत्पन्न हो सकती है।

## आगे की राह

- **समयसीमा की समीक्षा और परशिोधन:** गहन जाँच सुनशिचति करने और अनावश्यक देरी से बचने के लिये मामले की जटलिता के आधार पर आरोप दाखलि करने की मौजूदा समयसीमा की समीक्षा और परशिोधन की आवश्यकता है।
- **न्यायिक वविक को संलग्न करना:** न्यायपालिका को सार्वजनिक सुरक्षा के लिये जोखमि पैदा करने वाले या जाँच प्रक्रिया में बाधा डालने वाले मामलों में डफिऑल्ट ज़मानत से इनकार करने का वविक प्रदान करने से न्यायाधीशों को व्यक्तगित परस्थितियों के आधार पर सूचना-संपन्न नरिणय लेने का अवसर मलि सकता है।
- **संवीक्षा और शर्तों की वृद्धिकरना:** कड़ी संवीक्षा लागू करने और डफिऑल्ट ज़मानत देने के लिये उपयुक्त शर्तें लागू करने (जैसे कि सख्त रपिऑरटगि आवश्यकताएँ) की आवश्यकता है।
- **कानूनी कार्यवाही में तेज़ी लाना:** अवसंरचना में नविश, जाँच क्षमताओं की वृद्धि, न्यायाधीशों एवं न्यायालय कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने और केस प्रबंधन तकनीकों को लागू करने के माध्यम से कानूनी कार्यवाही में तेज़ी लाई जाए।
- **पीडित-केंद्रति दृष्टिकोण का पालन करना:** मामले की प्रगत के बारे में समयबद्ध सूचना प्रदान करके पीडितों के अधिकारों एवं हतियों को चहिनति किया जाए और एक संतुलति दृष्टिकोण सुनशिचति करने के लिये, जहाँ भी उपयुक्त हो, उन्हें ज़मानत नरिणय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाए।

**अभ्यास प्रश्न:** हाल की प्रगतियों के आलोक में, भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में डफिऑल्ट ज़मानत की अवधारणा की चर्चा करें। अभियुक्तों के अधिकारों की रक्षा करने और शीघ्र न्याय सुनशिचति करने में इसके महत्त्व का परीक्षण करें।

## यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, पछिले वर्ष के प्रश्न

**प्रश्न. भारत के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचिार कीजयि: (2021)**

1. न्यायिक हरिसत का अर्थ है कएक आरोपी संबंधति मजसिट्रेट की हरिसत में है और ऐसे आरोपी को पुलसि थाने में बंद कर दिया गया है, जेल में नहीं।
2. न्यायिक हरिसत के दौरान मामले के प्रभारी पुलसि अधिकारी को अदालत की मंजूरी के बिना संदगिध से पूछताछ करने की अनुमति नहीं है।

**उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?**

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

**उत्तर: B**